

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
में जारी

रेशम देवी बनाम शंकरलाल वगै०  
मु०नं० 99/2018  
दावा अ०घा० 88,188

दिनांक - 12.11.2020 वकील वादीगण उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 807 रकबा 1.29 है० वाके ग्राम सूरजगढ़ को तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भू.अ./2020/2145 दिनांक 16.10.2020 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाव्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़  
(अभिलाषा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ़

